रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227832 CG-DL-E-24062021-227832

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] No. 258]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2021/आषाढ़ 2, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2021/ASHADHA 2, 1943

## भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

### अधिसचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (178).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को निरस्त न हो जायें।

### अनसची

क्रम	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि रद्द	रद्द होंने की तिथि
सं.	शीर्षक		होंने हैं, की संख्या, वर्ष तथा	
			शीर्षक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 3521 (भाग 1) : 2021	11 जून 2021	आई एस 3521 : 1999	10 दिसम्बर 2021
	व्यक्तिगत फॉल एरेस्ट प्रणाली — विशिष्टि		औद्योगिक सुरक्षा पट्टे व	
	भाग 1 पूरे शरीर का कवच		सज्जा कवच- विशिष्टि	
	( चौथा पुनरीक्षण )		(तीसरा पनरीक्षण)	

3454 GI/2021 (1)

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुबनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उप्लब्ध हैं: भारतीय मानकों को <a href="http://www.standardsbis.in">http://www.standardsbis.in</a> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम) [विज्ञापन-III/4/असा./121/2021-22]

#### BUREAU OF INDIAN STANDARDS

# (Department of Consumer Affairs)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

**Ref:** HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (178).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

#### **SCHEDULE**

Sl.	No., Year & Title of the Indian	Date of	No., Year & Title of the	Date of
No.	Standards Established	Establishment	Indian Standards to be	Withdrawal
			withdrawn, if any	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 3521(Part 1): 2021 Personal Fall Arrest Systems - Specification Part 1 Full Body Harness (Fourth Revision)	11 June 2021	IS 3521 : 1999 Industrial Safety Belts and Harness - Specification (Third Revision)	10 Dec 2021

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatanam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <a href="http://www.standardsbis.in">http://www.standardsbis.in</a>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./121/2021-22]

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुन, 2021

संदर्भ: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (179).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को निरस्त न हो जायें।